



आत्मनिर्भर भारत

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना - पीएमएफएमई

“खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म उद्यमों के विकास में तत्पर”

योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु पूंजीगत अनुदान

व्यक्तिगत निवेशक (Individual Investor)

- परियोजना लागत का 35% की दर से (अधिकतम ₹.10 लाख) पूंजीगत अनुदान।
- लाभार्थी का अंशदान कम से कम 10% होना चाहिए।

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)

- खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को अधिकतम ₹.40,000/- की प्रारंभिक पूंजी।
- एस.एच.जी. के सदस्यों की व्यक्तिगत इकाई पर परियोजना लागत का 35% की दर (अधिकतम ₹.10 लाख) पूंजीगत अनुदान।
- एस.एच.जी. के फेडरेशन द्वारा स्थापित करने वाले इकाई पर परियोजना लागत का 35% की दर से पूंजीगत अनुदान।

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization)

- परियोजना लागत का 35% की दर से पूंजीगत अनुदान। अनुदान की अधिकतम राशि परियोजना लागत 35%

सामान्य सुविधा केन्द्र (Common Facility Center)

- सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु 35% की दर से पूंजीगत अनुदान।

सामान्य उद्भवन केन्द्र (Common Incubation Center)

- सामान्य उद्भवन केन्द्र स्थापित करने के लिए अधिकतम 50% पूंजीगत अनुदान।

वोकल फॉर लोकल

सुविधाजनक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

<https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/login>

आवेदन, सत्यापन, ऋण अनुमोदन एवं अनुदान मिलने तक हर स्तर पर पारदर्शिता के साथ- साथ एसएमएस द्वारा अद्यतन स्थिति की जानकारी

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तत्पर लाभार्थियों को समय-समय पर क्षमतावर्धन प्रशिक्षण

संपर्क करें

डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन
कृषि विज्ञान केंद्र
सम्बंधित जिला

सीईओ, जिला पंचायत
सम्बंधित जिला

डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
सम्बंधित जिला

छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
Email: pmfme.csidc@gmail.com, csidc.cg@gov.in
Ph.: +917716002071, 73, Mob. +917769917707 Website: www.csidc.in